भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 726
दिनांक 23 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे

726. श्री के. मुरलीधरन :
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. :
श्रीमती जसकौर मीना :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री विजेन्द्र सिंह :
श्री रमेश विधूडी :
श्री के. सुधाकरन :
श्री अब्दुल खालेक :
प्रो. सौगत राय :
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ या बेसहारा हो गए थे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनाथ हुए बच्चों की आकलित संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने 01 अप्रैल, 2021 से अब तक कोविड-19 के कारण अपने पिता, माता अथवा दोनों को खोने वाले बच्चों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो सभी तीन श्रेणियों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उक्त बच्चों के पुनर्वास, कल्याण तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई योजना शुरू की है या करने की योजना बना रही है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य तय किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और
(च) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बच्चों की शिक्षा सहित उनके संरक्षण और कल्याण के लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च) : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अनाथ बच्चों, जिन्होंने कोविड के कारण अप्रैल 2021 से 28 मई 2021 तक अपने माता-पिता खो दिए हैं, से संबंधित आंकड़ा **संलग्न** है।

विपदाग्रस्त स्थितियों के शिकार बच्चे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत देखरेख एवं संरक्षण के योग्य हैं। अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम इन बच्चों के लिए संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख के साथ सेवा प्रदायगी संरचनाओं के एक सुरक्षा जाल को अधिदेशित

करते हैं। मंत्रालय जेजे अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार संस्थानिक एवं गैर संस्थानिक देखरेख प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। इस योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए 2160 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह के गुजारा भत्ता के प्रावधान के साथ देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की गैर संस्थानिक देखरेख के लिए 2000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह का गुजारा भत्ता उपलब्ध है।

माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स बाल योजना की घोषणा की है जिन्होंने कोविड–19 महामारी के कारण अपने दोनों माता–पिता या उत्तरजीवी माता–पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता को खो दिया है। यह योजना शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सहायता का प्रावधान करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये के कापरस का निर्माण करेगी जब वह 18 साल की आयु का हो जाएगा। इस कारपस का प्रयोग 18 साल की आयु से अगले पांच साल तक मासिक वित्तीय सहायता/स्टाइपेन प्रदान करने के लिए किया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उसकी निजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और 23 साल का होने पर वह निजी एवं व्यावसायिक प्रयोग के लिए एकमुश्त रकम के रूप में कारपस की राशि प्राप्त करेगा।

मंत्रालय ने राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत वित्त पोषित सुविधाओं का लाभ उठाते समय जेजे अधिनियम 2015 तथा इसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार कोविड–19 से प्रतिकूल रूप से प्रभावित बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कोविड अनुकूल आचरण को प्रोत्साहित करने, बाल देखरेख संस्थाओं की निगरानी तथा बच्चों एवं तिमारदारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए कोविड के दौरान रणनीतियां तैयार करने के लिए एडवाइजरी एवं दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं। प्राथमिक ड्यूटिधारकों की भूमिका को परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी मैट्रिक्स प्रदान करने वाला दिशा–निर्देश भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यह अनुरोध किया गया है कि वे स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत उनको समायोजित करके ऐसे बच्चों की शिक्षा को जारी रखने का सुनिश्चय करें जिन्होंने कोविड–19 महामारी के कारण अपने माता–पिता खो दिए हैं।

****

अनुलग्नक

'कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे' के विषय पर श्री के. मुरलीधरन, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी, श्रीमती जसकौर मीना, श्री भर्तृहरि महताब, श्री विजेन्द्र सिंह, श्री रमेश विधूड़ी, श्री के. सुधाकरन, श्री के. सुधाकरन, श्री अब्दुल खालेक, प्रो. सौगत राय, और डॉ. कलानिधि वीरास्वामीद्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के भाग (क) से (च) में संदर्भित उत्तर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अनाथ बच्चों, जिन्होंने कोविड के कारण अप्रैल 2021 से 28 मई 2021 तक अपने माता-पिता खो दिए हैं, से संबंधित आंकड़ा :

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनाथ बच्चों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	119
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	3
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	16
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	2
9	दिल्ली	1
10	गोवा	0
11	गुजरात	45
12	हरियाणा	0
13	हिमाचल प्रदेश	13
14	जम्मू और कश्मीर	8
15	झारखंड	11
16	कर्नाटक	09
17	केरल	09
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	73
21	महाराष्ट्र	83
22	मणिपुर	1
23	मेघालय	1
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	0
26	उड़ीसा	10
27	पुद्दुचेरी	2
28	पंजाब	20
29	राजस्थान	19
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	8
32	तेलंगाना	23
33	त्रिपुरा	0
34	उत्तर प्रदेश	158
35	उत्तराखंड	8
36	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	**645**